रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1671]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 30, 2012/भाद्र 8, 1934
No. 1671]	NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 30, 2012/BHADRA 8, 1934

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2012

का.आ. 2003(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 2 के खंड (घ ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) में भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 2212(अ), दिनांक 20 सितम्बर, 2011 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की अथवा करने से छोड़ी गई बातों को छोड़कर केन्द्र सरकार, नीचे दी गई तालिका के कालम (2) में उल्लिखित केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को जिनका स्तर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुरातत्व निदेशक अथवा पुरातत्व आयुक्त के स्तर से कम नहीं है को उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ के प्रयोजन हेतु, उक्त तालिका के कालम (3) में तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के साथ एतद्द्वारा सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करती है, नामत: :—

तालिका

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1.	क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्र, ब्लाक नं. 17, प्रथम तल, उद्योग भवन, सैक्टर 11, गांधीनगर-382017	गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों के लिए
2.	क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उत्तर क्षेत्र, लाल किला परिसर, दिल्ली-110006	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए (आगरा मण्डल के क्षेत्राधिकार के अधीन क्षेत्र के लिए)
3.	क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, केन्द्रीय क्षेत्र, तीसरा तल, बी-ब्लाक, जी.टी.बी. परिसर, टी. टी. नगर, भोपाल-462003	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए (लखनऊ मण्डल के क्षेत्राधिकार के अधीन क्षेत्र के लिए)

(1)	(2)	(3)
4.	क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पूर्वी क्षेत्र, करैंसी बिल्डिंग-I, बी.बी.डी. बाग, कोलकाता-700001	असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडीशा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए (पटना मण्डल के क्षेत्राधिकार के अधीन क्षेत्र के लिए)
5.	क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दक्षिणी क्षेत्र, के.एस.आई.एम.सी भवन, औद्योगिक क्षेत्र, राजाजी नगर, बंगलौर-560044	आन्ध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों और पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए

[फा. सं. 1/8/2010-एम]

गौतम सेनगुप्ता, महानिदेशक

MINISTRY OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2012

S.O. 2003(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (db) of Section 2 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Culture (Archaeological Survey of India) number S.O. 2212 (E), dated 20th September, 2011 published in the Gazette of India on dated 24th September, 2011 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies the officers mentioned in column (2) of the Table given below, being officers not below the rank of Director of Archaeology or Commissioner of Archaeology, of the Central Government, as the competent authorities for the purposes of Section 20E of the said Act, with the area of jurisdiction specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely :—

TABLE

Serial Number	Designation of Officer	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Regional Director, Archaeological Survey of India, Western Region, Block No. 17, 1st Floor, Udhyog Bhawan, Sector 11, Gandhinagar -382017	For the States of Gujarat, Maharashtra, Rajasthan and UT of Daman and Diu
2.	Regional Director, Archaeological Survey of India, Northern Region, Red Fort Complex, Delhi -110006	For the States of Haryana, Himachal Pradesh, N.C.T. of Delhi, Punjab, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh (for the area under the jurisdiction of Agra Circle)
3.	Regional Director, Archaeological Survey of India Central Region, IIIrd Floor, B-Block, G.T.B. Complex, T.T. Nagar, Bhopal- 462003	For the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh (for the area under the jurisdiction of Lucknow Circle)
4.	Regional Director, Archaeological Survey of India, Eastern Region, Currency Building -I, B.B.D. Bagh, Kolkata - 700001	For the States of Assam, Arunachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Odisha, Sikkim, Tripura, West Bengal and Uttar Pradesh (for the area under the jurisdiction of Patna Circle)

(1)	(2)	(3)
5.	Regional Director, Archaeological Survey of India, Southern Region, KSIMC Building Industrial Estate, Rajaji Nagar, Bangalore- 560044	For the States of Andhra Pradesh Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and UT of Puducherry

[F. No. 1/8/2010-M]
GAUTAM SENGUPTA, Director General

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.